218

8.6.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान
शिविर केन्द्र ग्राम देवली पर पेश हुई।
वादग्रस्त आराजी की अपील माननीय
न्यायालय जिला कलक्टर महोदय में
विचाराधीन होने से इस वाद का निस्तारण
हो जाने से इस प्रार्थना पत्र के चलने का
कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसलानुसार होकर
नत्थी कर दो तथा इन्द्राज कुल दर्ज हो।